भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2081

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

'प्रगति' सिंचाई परियोजनाएं

2081. श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री विजय बघेलः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्रीमती संजना जाटवः
श्री मनीष जायसवालः
श्री काली चरण सिंहः
श्री राजीव प्रताप रूडी:
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
कैप्टन बृजेश चौटाः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः
डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः
श्री अनुराग शर्माः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्री अभिमन्यु सेठीः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री प्रवीण पटेलः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल संसाधन विभाग के अंतर्गत स्थायी चुंबक जनरेटर (पीएमजी) प्रणाली पर वर्तमान में ट्रैक की जा रही सिंचाई एवं जल संसाधन परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है और उनका संचयी निवेश मूल्य, क्षेत्र-वार और छत्तीसगढ़, कर्नाटक सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार और दक्षिण कन्नड़ जिला तथा राजस्थान के पाली संसदीय क्षेत्र का परियोजना-वार विशेष ब्यौरा क्या है;

(ख) सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन (प्रगति) मंच के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं की समीक्षा की गई है और वर्तमान में चल रही और शुरू की गई परियोजनाओं और उनके अंतर्निहित लागत का छत्तीसगढ़, बिहार और कर्नाटक सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार, विशेषकर दक्षिण कन्नड़ ज़िला, राजस्थान के राजसमंद संसदीय क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और इस मंच के अंतर्गत झारखंड के हज़ारीबाग और रामगढ़ जिलों से संबंधित परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण, अंतर-राज्य समन्वय, पर्यावरण स्वीकृति या निधि प्रवाह के संबंध में क्रियान्वयन हेतु विशेष बाधाएँ आई हैं और प्रगति स्तर की निगरानी ने उन्हें सुलझाने में किस प्रकार मदद की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजनाओं में पहचानी गई समस्याओं/मुद्दों, जैसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन, निधि जारी करने, अनुबंध प्रबंधन, अंतर-राज्य समन्वय आदि के समाधान की वर्तमान स्थिति क्या है और 'प्रगति' मंच पर समीक्षा की गई परियोजनाओं में अब तक हल किए गए मुद्दों, विशेषरूप से कर्नाटक राज्य, हज़ारीबाग और रामगढ़ जिलों में लंबित मुद्दों के समाधान में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इन समाधानों ने सिंचाई एवं जल संसाधन परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में कितना योगदान दिया है;

(ङ) उक्त परियोजनाओं में आई समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) 'प्रगति'-सक्षम शासन के परिणामों के माध्यम से सिंचित क्षेत्र के विस्तार, सूखा प्रतिरोधक क्षमता में सुधार और किसानों की जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं; और

(छ) महाराष्ट्र के पालघर आदिवासी-प्रधान जिले में क्रियान्वित सिंचाई एवं जल संसाधन परियोजनाओं सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) की कुल 86 परियोजनाओं की निगरानी परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इनका राज्य और क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-**I** में दिया गया है। इनमें से कोई भी परियोजना राजस्थान के दक्षिण कन्नड़ जिले या पाली निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित नहीं है।

(ख): आज की तारीख तक, सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन (प्रगति) मंच के अंतर्गत कुल 11 परियोजनाओं की समीक्षा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा वित्तपोषित की जा चुकी है। इन परियोजनाओं को, लाभान्वित जिलों सहित, ब्यौरा अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(ग) से (च): भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, पर्यावरण संबंधी मंजूरी, अंतर्राज्यीय समन्वय, जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन और सामुदायिक सहभागिता जैसी जल संसाधन परियोजनाओं के लिए आवश्यक व्यापकता, जटिलता और अंतर-सरकारी समन्वय को देखते हुए, कई पहलों को परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) कार्य ढांचे के अंतर्गत लाया गया है।

यह कार्य ढांचा पीएमजी पोर्टल पर रियल टाईम के मामलों की निगरानी और साथ ही भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी पर बल दिया है। स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और समीक्षाओं के दौरान लिए गए निर्णयों को दर्ज किया जाता है तथा उनके समाधान तक उनका पालन किया जाता है। यह दृष्टिकोण परियोजना की निगरानी को नियमित रिपोर्टिंग से परिणाम-उन्मुख शासन की ओर ले जाता है।

पीएमजी पोर्टल पर दर्ज 127 मामलों में से अब तक 108 मामलों का समाधान किया जा चुका है। इसके अलावा, लंबे समय से पीएमजी पोर्टल पर लंबित मामलों/परियोजनाओं को प्रगति तंत्र के अंतर्गत लाया गया है जिससे समयबद्ध निर्णय लेने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर लंबित बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है।

प्रगति निगरानी ढांचा पुनर्वास और पुनर्स्थापन, भूमि अधिग्रहण, अंतर्राज्यीय समन्वय, जमीनी स्तर पर बाधाएं आदि जैसी कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण रहा है जिससे क्रिटिकल इरिगेशन और वाटर रिसोर्सिस एसेट का संचालन और सेवा वितरण सुचारू रूप से किया जाए।

(छ): वर्तमान में, पालघर जिले में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और महाराष्ट्र पैकेज योजनाओं के अंतर्गत किसी भी सिंचाई और जल संसाधन परियोजना का वित्तपोषण नहीं किया गया है।

*****

<u>अनुलग्नक-I</u>

"प्रगति सिंचाई परियोजनाओं" के संबंध में दिनांक 12.02.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 2081 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल के माध्यम से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी के विवरण

क्रम संख्या	राज्य	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना की अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1.	आंध्र प्रदेश	सिंचाई	3	57,269
2.	असम	सिंचाई	1	567
3.	बिहार	सिंचाई	3	7,912
		प्रदूषण उपशमन	7	2,727
4.	छत्तीसगढ़	सिंचाई	1	727
5.	दिल्ली	प्रदूषण उपशमन	4	1,707
6.	गोवा	सिंचाई	1	1,051
7.	गुजरात	सिंचाई	2	40,082
8.	हिमाचल प्रदेश	सिंचाई	1	6,946
9.	झारखंड	सिंचाई	2	12,010
10.	कर्नाटक	सिंचाई	3	4,062
11.	मध्य प्रदेश	सिंचाई	7	6,423
12.	महाराष्ट्र	सिंचाई	23	50,445
13.	मणिपुर	सिंचाई	1	1,822
14.	ओडिशा	सिंचाई	3	12,314
15.	पंजाब	सिंचाई	2	5,177
16.	तमिलनाडु	सिंचाई	1	872
17.	तेलंगाना	सिंचाई	6	24,817
18.	उत्तर प्रदेश	सिंचाई	4	14,359
		प्रदूषण उपशमन	8	3,463
19.	उत्तराखंड	सिंचाई	1	2,584
		प्रदूषण उपशमन	1	223
19.	पश्चिम बंगाल	प्रदूषण उपशमन	1	596
कुल			86	2,58,155

टिप्पणी:

सिंचाई: प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, महाराष्ट्र पैकेज और अन्य राष्ट्रीय और विशेष परियोजनाओं के तहत शुरू की गई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं।

प्रदूषण उपशमन: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नदी पुनरुद्धार और प्रदूषण उपशमन परियोजनाएं शुरू की गईं।

<u>अनुलग्नक-II</u>

"प्रगति सिंचाई परियोजनाओं" के संबंध में दिनांक 12.02.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 2081 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

प्रगति के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की समीक्षा का विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य	लाभान्वित जिले	परियोजना की अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1.	उत्तर कोयल परियोजना	बिहार और झारखंड	औरंगाबाद, गया, पलामू और गढ़वा	2,431
2.	सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	झारखंड	पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां	9,580
3.	गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर	12,770
4.	गोसीखुर्द सीएडीडब्ल्यूएम परियोजना	महाराष्ट्र		744
5.	सुलवाडे जामफल कनोली परियोजना	महाराष्ट्र	धुले	2,408
6.	लोअर पेढ़ी परियोजना	महाराष्ट्र	अमरावती और अकोला	1,481
7.	अरुणा मध्यम सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	1,472
8.	बेम्बला सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	यवतमाल	2,685
9.	सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना	ओडिशा	मयूरभंज	7,023
10.	एकीकृत आनंदपुर बैराज परियोजना	ओडिशा	क्योंझर, भद्रक	2,990
11.	जे. चोक्का राव डी. लिफ्ट सिंचाई योजना	तेलंगाना	हनमकोंडला, जयशंकर भूपालपल्ली, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, सूर्यापेट करीमनगर, वारंगल, महबूबाबाद और मुलुगु	14,730

*****